न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी –संजय शर्मा

अपील संख्या 38 / 2023 तारीख रजू 02.11.2023

1 भेरूलाल पुत्र चतरू मीना निवासी मलारना चौड तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।
2 ख्यालीराम पुत्र सांवलराम मीणा नि0 मलारना चौड तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।

..........अपीलान्टस

बनाम

1 रामजीलाल पुत्र बजरंगलाल मीना नि0 मलारना चौड तह0 मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।
2 तहसीलदार, मलारना डूंगर

..........रेस्पोडेन्टस

निर्णय **दिनांक 20.06.2025**

अपीलान्टस ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1056 निर्णय दिनांक 08/12/22 वाके ग्राम मलारना चौड तहसील मलारना डूंगर में पारित आदेश विरूद्व प्रस्तुत कर उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करने का आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस की तलबी जरिये सम्मन की गयी रेस्पोडेन्टस संख्या 1 की ओर से श्री जगदीश प्रसाद शर्मा एडवोकेट द्वारा वकालातानामा पेश किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित आए। तहसीलदार मलारनाडूंगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08/12/22 से संबंधित मूल रिकार्ड प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। यह कि रेस्पोडेन्ट नं0 1 को ग्राम मलारना चौड तहसील मलारना डूंगर मे स्थित पुराने ख0नं0 706/1 रकबा 1 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 05.06.1992 को किया था उक्त भूमि ख0नं0 706/1 का बडा रकबा कुल 8 बीघा 10 बिस्वा का था उक्त भूमि का कब्जा रेस्पोडेन्ट न0 1 को मौके पर नहीं दिया था तथा उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने आवंटन वर्ष के उपरान्त उक्त भूमि को आज तक कभी भी काश्त नहीं की तथा उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2075–78 तक में रेस्पोडेन्ट नं0 1 का नाम उक्त भूमि में गैर खातेदार दर्ज है। इस प्रकार इस भूमि पर रेस्पोडेन्ट का [illegible] के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय से रेस्पोडेन्ट नं0 1 से मिलकर चुपचाप अवैध [illegible] से उक्त नामान्तकरण तस्दीक करवा लिया जो निरस्तनीय है। यह कि [illegible] वर्ष तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.07.09 17:40:29 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

काश्त करना आवश्यक है। इस तथ्य को अनदेखा कर रेसपोडेन्ट नं0 1 का कब्जा काश्त नहीं होते हुए भी उसका कब्जा मानते हुए उक्त गैरखातेदारी से खातेदारी में दर्ज करने का उक्त नामान्तकरण अवैधानिक रूप से निर्णित किया है जो निरस्तनीय है। यह कि पटवारी हल्का ने नामान्तकरण भरते समय नामान्तकरण के कॉलम में उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट नं0 1 का कब्जा होने का तथ्य अंकित किये बिना ही चुप–चाप उक्त नामान्तकरण को गिरदावर से चुप–चाप रिपोर्ट करवाकर रेस्पोडेन्ट नं0 2 से रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने मिलकर चुपचाप उक्त नामान्तकरण गलत रूप से तस्दीक करा लिया। यह कि उक्त भूमि ख0नं0 706/1 में से 10 बिस्वा पर अपीलान्ट कमांक 2 का पिछले 50 वर्षो से अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा पटवारी हल्का ने नामान्तकरण भरने से पूर्व मौके पर उक्त भूमि के संबंध में जांच नहीं की। यह कि अपीलान्टान दिनांक 23.10.23 को उक्त जमाबन्दी की नकल लेने के लिए पटवारी हल्का के पास गये तब पटवारी हल्का ने अपीलान्टान को बताया कि उक्त भूमि का गैरखातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 1056 दिनांक 08.12.2022 को रेस्पोडेन्ट के नाम प्रमाणित किया जा चुका है तब अपीलान्टान ने उक्त नामान्तकरण की नकल पटवारी हल्का से दिनांक 25.10.23 को प्राप्त की इस कारण जानकारी के समय से अन्दर अवधि अपील में लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ पेश किया गया है। अतः अपील अपीलान्टान स्वीकार कर आलोच्य नामान्तकरण संख्या 1056 दिनांक 08.12.2022 को निरस्त करने का निवेदन किया गया।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वकील अपीलान्ट की बहस का खण्डन करते हुये बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने उपरोक्त अपील गलत तथ्यों के आधार पर पेश की है तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा नामान्तकरण संख्या 1056 आदेश दिनांक 08.12.2022 के द्वारा गैरखातेदारी से खातेदारी में दर्ज की गई है जोकि नियमानुसार गैरखातेदारी से खातेदारी दर्ज की गई है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 को ख0नं0 706/1 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा में से एक बीघा भूमि का आवंटन किया गया है जिस पर रेस्पोडेन्ट नं0 1 का कब्जा काश्त है। उक्त ख0नं0 706/1 में अपीलांट का 10 बिस्वा पर कब्जा रहा हो सकता है किन्तु उक्त ख0नं0 की तरमीम नहीं हुई है जिससे उक्त बडे रकबे में से किस स्थान पर है, यह स्पष्ट नहीं है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 को आवंटित भूमि पर ही काबिज रह कर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि संबंधित पटवारी द्वारा दस्तावेजो की जांच कर सही पाये जाने पर नामान्तकरण संख्या 1056 भरकर पेश किया गया है जिसकी गिरदावर द्वारा जांच करने के उपरान्त सही पाये जाने पर ही रेस्पोडेन्ट नं0 2 द्वारा तस्दीक किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष द्वारा की गई बहस का ध्यान [illegible] पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन [illegible] यह स्पष्ट होता है कि ग्राम मलारना चौड ए के आराजी ख0नं0 [illegible] किता 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.07.09 17:40:29 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

रकबा 0.25 है0 वर्तमान में जमाबन्दी के खाता सं. 735 में रामजीलाल पुत्र बजरंगलाल मीना खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि दिनांक 05.06.1992 को साबिक ख0नं0 706/1 में से आवंटित की गई थी। जिसमें से खसरा नं0 1441/0.07, 1442/0.07 पर रामजीलाल पुत्र बजरंगलाल मीना का कब्जा तथा ख0नं0 1430/0.11 पर ख्याली पुत्र सांवलराम मीना का कब्जा होना तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट एवं गिरदावरी से प्रदर्शित होता है जबकि तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा जारी नामान्तकरण संख्या 1056 दिनांक 08.12.22 में उक्त तीनो ख0नंबरान 1430/0.11, 1441/0.07, 1442/0.07 रेस्पोडेन्ट नं0 1 के पूर्ण हिस्से में दर्शाया गया है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा नामान्तकरण संख्या 1056 दिनांक 08.12.2022 निरस्त किया जाकर तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार ख0नं0 1430 रकबा 0.11 पर अपीलान्ट का कब्जा होने के बिन्दु पर पत्रावली तहसीलदार मलारना डूंगर को रिमाण्ड की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पुनः सम्पूर्ण तथ्यों की जांच कर नये सिरे से नियमानुसार नामान्तकरण की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.07.09 17:40:29 IST
Reason: SelfAttested